राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं (आई.ई.सी.) राज. जयपुर
तकनीकी बोली प्रपत्र

1. बिडदाता फर्म का नाम–..
   पता–...
   दूरभाष / मोबाईल नम्बर–..
2. प्रार्थी (उत्तरदायी व्यक्ति का नाम) और फर्म मे उसकी स्थिति–..
   ....
   ईमेल–...
   बैक नाम / खाता संख्या / आईएफसी ....
3. सन्दर्भ निदेशक, आई.ई.सी की बिड सूचना........................ दिनांक ....
4. बिड शुल्क राशि रू. 100 डीडी / बैकर्स चैक / नकद जमा रसीद / चैक संख्या .... दिनांक..................................
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आई.ई.सी, जयपुर के पक्ष में नकद रसीद संख्या / बैकर्स चैक / डी.डी संख्या..................... दिनांक.......................... के लिए रूपये 4400 / – (अक्षरे चार हजार चार सौ रू मा़त्र) की बिड प्रतिभूति राशि जमा करवा दी गयी है।
6. हम / मैं बिड कार्य संबंधी नियम एवं शर्तो को की पालना करने को तैयार है।
7. बिड कार्य हेतु कार्यानुसार दरें एनेक्जर डी में अंकित है।
8. स्वयं द्वारा सत्यापित फर्म के रजिस्टेशन की प्रति, पैन कार्ड की प्रति, जीएसटी की प्रति एवं अधिकृत डीलरशीप / ओनरशीप का प्रमाण पत्र सलंग्न है या नही हैं।

सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:–

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 **या** इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत **या** इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

हस्ताक्षर बोलीदाता मय रबर सील

बीडदाता का नाम

पूर्ण पता

दूरभाष नम्बर

घोषणा

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तो का मैनें/हमनें अच्छी तरह से अध्यन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि निदेशक, आई.ई.सी. विभाग, जयपुर का निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरा/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड मे चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव एवं तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है। राज्य सरकार एवं अन्य कोई निजी फर्म/कम्पनी आदि द्वारा मेरी/हमारी फर्म/ऐजेन्सी/कम्पनी को ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है। प्रतीकस्वरूप बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये गये है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जोकि की जा सकती है तथा बिड को, जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकता है।

दिनांक..........................

स्थान...............................

हस्ताक्षर बोलीदाता मय रबर सील

बीडदाता का नाम

पूर्ण पता

दूरभाष नम्बर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं (आई.ई.सी.) राज. जयपुर

Terms and Conditions of Bid&Contract:-

Important Instructions: - The law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012" [hereafter called the Act]and The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 [hereafter called the Rules] under the said Act. Which are available on the state public procurement portal https://sppp.rajasthan.gov.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and his bidding document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

नियम और शर्ते

नोटः– बोलीदाता बोली प्रपत्र को भरने एवं हस्ताक्षर करने से पूर्व इन नियमों एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ लेवें।

1. निविदाएं उन पंजीकृत फर्मो (उद्योग विभाग/सहकारिता विभाग/श्रम विभाग से पंजीकृत हो तथा उनके कार्यो/उद्‌देश्यों में ऐसा अंकित हो) द्वारा ही दी जानी चाहिए जो अनुबंधित कार्मिकों के राजकीय कार्यालय व संस्थाओं में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखते हो तथा इस हेतु विभाग अथवा संस्थान से प्राप्त अनुभव/संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभवी फर्मो को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों एवं कम्प्यूटर मय प्रिन्टर निदेशालय आई.ई.सी.,जयपुर के कार्यालय में स्थापित करना होगा एवं उनके द्वारा दिये जाने वाली सेवा/संबंधित कार्य करना होगा।
3. जो भी व्यक्ति लगाये जायेंगें, उन्हें कार्यालय में प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना होगा एवं सांयः 6.00 बजे तक रूकना होगा।
4. यदि सेवा–संबंधित कार्य की उक्त समय से पूर्व/पश्चात् अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती है, तो उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को तद्‌ानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इसके लिए निदेशक, आई.ई.सी.,जयपुर द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो विभाग द्वारा सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था को तत्काल उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।

6. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था के स्तर पर उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों का चाल–चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके संबंध में ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
7. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक राशि का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा आपूर्तिकर्त्ता संस्था को ही किया जावेगा। भुगतान के संबंध में इस कार्यालय का सेवा व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं होगा।
8. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा समय पर व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में, अनुपस्थित दिनों का वेतन आनुपातिक रूप से काट लिया जाएगा, विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कही से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता है तो इस हेतु किये गये अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार से की जाएगी।
9. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा।
10. उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था की होगी।
11. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
12. सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। **सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।**
13. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर को एजेक्जर "डी" के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान को संबंधित विभागों में निर्धारित तिथि तक जमा कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। यदि अंशदान विलम्ब से जमा कराया जाता है तो विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों एवं ई.पी.एफ/ई.एस.आई. की दरों में वृद्धि की जाती है तो कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की मजदूरी का भुगतान संशोधित दरों के आधार पर किया जाएगा।
14. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होने एवं उनके यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा तथा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर की सूची निगम को उपलब्ध करवानी होगी।
15. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान की राशि संबंधित विभागों में जमा कराने की मासिक सूचना मय चालानों की प्रति के अगले माह के बिल के साथ विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही गत माह में कम्प्यूटर ओपरेटर को किए गए भुगतान का विवरण भी आगामी माह के बिल के साथ निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगाः–

16.

S. No.	Name of Computer with Operator	UIN No.	Name of Office	Basic Salary	No. Of Present days	Total Salary Payable	Employee's Contribution			Net Amount Paid to Computer with Operator (7-10)	Employer's Contribution			Total (7+14)	Computer Rant	Agency Service Charges	Total (15+16+17)
							EPF	ESI	Total (8+9)		EPF	ESI	Total (12+13)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Total	
																SGCT	
																CGST	
																Grand Total	

17. कम्प्यूटर उपकरणों को हमेशा चालू हालत में रखा जाएगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

18. स्थापित किए जाने सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए।

19. प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाला नया टोनर/नया रिफल प्रथम बार सफल निविदादाता द्वारा दिया जाएगा। तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

20. कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, उसे अनुरूप कराया जाएगा।

21. यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जाएगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।

22. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी। विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण कमरे में रखे जा सकें।

23. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।

24. बोलीदाता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवाएं जारी रखनी होगी। किसी भी माह में 04 कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जाएगा। यह भी पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के

कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/– रूपये की कटौती की जाएगी।

25. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

26. यदि उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर किसी कारण सेवाएँ प्रदान नहीं करता है तो सफल निविदादाता को विभाग द्वारा सूचित करने पर 03 दिवस में अन्य व्यक्ति की सेवाएँ उपलब्ध करानी होगी अन्यथा सफल निविदादाता पर उचित पैनल्टी लगाए जाने का अधिकार विभाग को होगा।

27. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

28. बिड सूचना में निर्देशित संबंधित कार्यो में कार्यरत कार्मियों को तत्समय प्रचलित कानून/नियमों के तहत सुरक्षा उपकरण/संसाधन/परिवेश उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। किसी कारण से भी घायल होने, अथवा स्थाई/अस्थाई रूप से अपंग होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि देने का भार बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा।

29. उपकरण में आई कोई भी बाधा/रूकावट को सूचना मिलने के एक दिन के भीतर सही करना होगा या उसे रिपलेस करना होगा।

30. कार्य संतोषप्रद हो रहा है अथवा नहीं इस बारे में निदेशक, आई.ई.सी, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। यदि निदेशक, आईईसी, जयपुर को कार्य सन्तोषप्रद नहीं लगे तो कार्य का अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

31. बोली नीली स्याही से भरी जायेगी। बोली में कोई भी संशोधन एवं काट–छांट नहीं की जाये। यदि निविदा में कोई सुधार किया गया है तो वह स्पष्ट एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए।

32. बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिसे बोलीदाता की विभागीय बोली के नियमों एवं शर्तो की पालना की सहमति मानी जायेगी।

33. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में 3 दिवस में एक अनुबन्ध (राशि रू. 500 के स्टाम्प पर) तैयार कर प्रस्तुत करना होगा। समझौता प्रक्रिया करने में आने वाले खर्च एवं स्टाम्प का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। यदि सफल बोलीदाता करार करने में असमर्थ रहता है तो उसकी बिड सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी। अनुबन्ध की शर्तो की अवहेलना या अनुबन्ध के तहत असंतोषजनक कार्य पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्ध "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and Rules 2013" के नियमों के अुनसार कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में निदेशक, आई.ई.सी, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

34. बिड राशि, सिक्योरिटी आदि बैंकर चैक/डी.डी के माध्यम से दिये जाने पर ऐसे बैंकर चैक/डी.डी अनुसूचित बैंकों के द्वारा जारी एवं निदेशक, आई.ई.सी, जयपुर के पक्ष में देय होगें।

35. विभाग के पास यह अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बगैर कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा तथा बोली में वर्णित कार्य की पूरी/आशिंक मात्रा के आदेश दे सकेगा।

36. बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता, सेवा प्रदाता को उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल 3 प्रतियों में मय GST

No .... के साथ निदेशक, आई.ई.सी के नाम प्रस्तुत करने होगें। **विभाग द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता/सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT द्वारा किया जाएगा एवं अनुपस्थिति के दिवसों हेतु आनुपातिक कटौती की जाएगी।**

37. नियमानुसार आयकर व अन्य कर की कटौती की जावेगी तथा जीएसटी आदि देय होगा।

38. समय एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक शर्ते जोडी जा सकती है, जो बोलीदाता को मान्य करनी होगी।

39. उक्त कार्य अन्य किसी को सबलेट नहीं किया जायेगा।

40. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, **जयपुर (राजस्थान)** होगा।

41. उपरोक्त नियम एवं शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012/नियम 2013 की समस्त नियम एवं शर्ते लागू होगी।

42- <u>कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु आवश्यक दिशा–निर्देशः–</u>

कम्प्यूटर स्पेशिफिकेशन	**1. Machine Specifications** **A. Computer- Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer of higher Speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard Disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Paralle & USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software licence will be horne by the contractor.** **B. Printer – Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.** **C. UPS- Online/Offline UPS for above Computer and printer with 30 minutes battery backup.**
मैन पॉवर	**2. Manpower- The Personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment, Good Knowledge/Practice in word processor, spread sheets and Internet operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.**

22/6/20.

कार्यालयध्यक्ष एवं
अतिरिक्त निदेशक, आई.ई.सी

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एंव समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहर

एनेक्जर–डी

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं (आई.ई.सी.) राज. जयपुर

<u>वित्तीय बिड</u>

क्रम संख्या	सेवा का नाम/ श्रमिक की श्रेणी	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगा मय संख्या			नियोक्ता का अंशदान		कुल राशि (5+6+7)	2 कम्प्यूटर व प्रिन्टर किराया	nksसेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि रू	कुल राशि (8+9+10+11)
		न्यूनतम मजदूरी दर प्रति इकाई राशि रू	श्रमिकों की संख्या	राशि	EPF दर 13.61 राशि रू	ESI दर 4.75 राशि रू				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Computer with Opertor (higher skilled)	**7774**	**2**	**15548**	**2116**	**739**	**18403**			

(कुल राशि अक्षरेः–...)

1. उपरोक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 8 तक की पूर्तिया इस कार्यलय द्वारा की जाकर दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है। बोलीदाता द्वारा केवल स्तम्भ संख्या 9 एवं 10 की प्रविष्टि की जावेगी।
2. वस्तु एवं सेवाकर राशि नियमानुसार अतिरिक्त रूप से देय होगी।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय रबर सील

बीडदाता का नाम

पूर्ण पता

दूरभाष नम्बर